न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 26/23 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2023/94

अनवान्

1. श्री ओमप्रकाश पिता बंशीलाल वीरवाल निवासी मेडता तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता बंशीलाल वीरवाल निवासी मेडता तहसील मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का मेडता तहसील मावली।
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री जयेश कुमार जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 18.05.2026

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता तहसील मावली की आराजी नम्बर 292, 294, 295, 296, 297, 299, 301, 302 किता 8 कुल रकबा 0.8661 हेक्टेयर भूमि जो संयुक्त शामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, परन्तु मौके पर बंटवाडा नहीं कर रखा है, केवल मात्र सुविधा अनुसार ही मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात का उपयोग उपभोग किया जा रहा है जिस पर शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु विपक्षी संख्या 1 के मन में बदनियति उत्पन्न हो जाने एवं मेरी भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से मुझ प्रार्थी के हिस्से की भूमि में बिना बंटवाडा करवाये उक्त भूमि पर खडे हरे वृक्ष विपक्षी संख्या 1 काट कर अपने साथ ले जा रहा है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
2. यह कि विपक्षी संख्या 1 के मन में बदनियती आ जाने से विपक्षी संख्या 1 नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से बिना बंटवाडा कराये उक्त आराजीयात में कब्जा करने एवं उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द एवं उक्त वर्णित आराजीयात में नया निर्माण करने एवं हस्तान्तरित करने पर आमादा है तथा बिना बंटवाडा कराये विपक्षी संख्या 1 को उक्त

वर्णित आराजीयात पर कोई नया निर्माण कार्य करने एवं उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द एवं किसी भी तरह से हस्तान्तरित करने का विपक्षीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है विपक्षी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना आवश्यक हैं कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार नया निर्माण नहीं करे, न ही उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द व किसी भी तरह से हस्तान्तरित करे, न ही किसी अन्य से करावे एवं उक्त आराजीयात की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह से फेर बदल नहीं करे।

3. यह कि मुझ प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 02.03.2023 को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का बंटवाडा कराने के लिए कहा तो विपक्षी संख्या 1 ने कोई ध्यान नहीं दिया व उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में जबरन ताकत के बल पर नया निर्माण करने लगे एवं उक्त वादग्रस्त आराजीयात में मेरा हिस्सा होने से साफ इन्कार कर दिया इस पर मुझ प्रार्थी ने विपक्षीगण को मुझ प्रार्थी के हिस्से की जमीन पर कब्जा नहीं करने हेतु कहा तो विपक्षीगण लडने झगडने पर आमादा हुआ है और उक्त आराजीयात पर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है एवं हम प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा है इसलिए मुझ प्रार्थी को विवश होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 02.03.2023 को उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में किसी भी तरह से नया निर्माण कार्य न तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे तथा उक्त आराजीयात को किसी भी तरह से खुर्द बुर्द एवं किसी भी तरह से हस्तान्तरित न तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य के मार्फत करावे एवं मौके एवं रिकार्ड की स्थिति बनाये रखें।

4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस सुनी जाने का निवेदन करने पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती का कथन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग, विक्रय, हस्तान्तरण करने का पूरा अधिकार हैं। उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदारान होने से किसी भी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे उसके साथ कठुराघात होगा। इसलिए विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा संतुलन—* चूंकि वाद वर्णित भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। न्यायालय का यह अभिमत है कि सहखातेदारी की भूमि में यदि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे एक पक्ष को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा उन्हे अपनी भूमि का विकास करने, ऋण लेने आदि में भी कठिनाई होगी। उभय पक्षकारान सहखातेदार होने से यदि मात्र विपक्षी संख्या 1 को पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षी संख्या 1 के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को नया निर्माण एवं गैर कृषि कार्य करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि के विशेष भू भाग पर निर्माण कर मौके की स्थिति परिवर्तन कर देते है तो इससे उभय पक्षकारान को ही काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में आंशिक सफल रहा हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति का बिन्दु* — चूंकि वाद वर्णित भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं परन्तु सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति होगी तथा विपक्षी संख्या 1 को अपने हिस्से की

भूमि का उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न होगी। विपक्षी संख्या 1 खातेदार होने से इन्हे अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को नया निर्माण एवं गैर कृषि कार्य करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि के विशेष भू भाग पर निर्माण कर मौके की स्थिति परिवर्तन कर देते है तो इससे उभय पक्षकारान को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में आंशिक सफल रहा हैं। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता हैं।

शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेगें। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किये गये है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 42 पर दर्ज आराजी नम्बर 292, 294, 295, 296, 297, 299, 301, 302 किता 8 कुल रकबा 0.8661 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का गैर कृषि कार्य नहीं करें। नया निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली